

प्रति,

अधीक्षण यंत्री,
राजधानी परियोजना प्रशासन,
बी0सी0ओ0 कोड 1807,
बिट्टन मार्केट,
भोपाल, मध्यप्रदेश.

विषय:- अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट आवंटन बाबत ।

संदर्भ-म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार, भोपाल, दिनांक 02/02/2013

—0—


अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 21-3/2015/38-2, दिनांक 08.09.2015 द्वारा राशि रुपये 49.15 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 2200.00 लाख आवंटित किये गये थे, जिसमें से राशि रुपये 1066.36 लाख की राशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्रथम त्रैमास में प्राप्त बजट आवंटन में से राशि रुपये 990.00 लाख आवंटित की गई है। प्राप्त बजट आवंटन की निम्नानुसार आपके बीसीओ कोड में आवंटित की जाती है:-

क्र.	मांग संख्या	राशि रुपये लाख में
1.	मांग संख्या-44-2202-03-102-0101-6938-45-001 (हिन्दी विश्वविद्यालय का भवन निर्माण) सामान्य	1210.00
	योग	1210.00

उपरोक्तानुसार राशि रुपये 1210.00 लाख (रुपये बारह करोड़ दस लाख मात्र) का बजट आवंटन विमुक्त किया जाता है।

- निर्माण कार्य की प्रगति से निरंतर अवगत कराने का कष्ट करें।
- कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन भेजा जावे। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राचार्य अपने एवं कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रशासकीय स्वीकृति के संदर्भ में, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार भोपाल दिनांक 02/02/2013 के अनुसार निर्माण कार्य के भुगतान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कार्यपालन यंत्री, निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे भवन निर्माण की समीक्षा इस कार्यालय द्वारा की जा सकें।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


(डॉ (श्रीमती) सुषमा डूबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..


2/-

क्रमांक 49 / 171 / आउशि / निर्माण शाखा 6 / 17,
प्रतिलिपि-

// 2 //

भोपाल, दिनांक 12 / 01 / 2018

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. महालेखाकार (निर्माण कार्य) मध्यप्रदेश, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
5. कार्यपालन यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन, बी०सी०ओ० कोड 1807, बिट्टन मार्केट, भोपाल, मध्यप्रदेश.
6. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
7. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा भोपाल, मध्यप्रदेश, कृपया राजधानी परियोजना प्रशासन, बी०सी०ओ० कोड 1807, बिट्टन मार्केट, भोपाल, मध्यप्रदेश. उपरोक्तनुसार आवंटित राशि को सर्वर पर हस्तांतरित करने का कष्ट करें।
8. कुलसचिव, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी, अधिकारी, उच्च शिक्षा, कम्प्यूटर शाखा की ओर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


(डॉ (श्रीमती) सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..

कायालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 46/171/आउशि/निर्माण शाखा 6/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/01/2018

परियोजना संचालक,
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,
बी0सी0ओ0 कोड 1903,
निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स
भोपाल, मध्यप्रदेश.

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट आवंटन बाबत ।

संदर्भ-म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार, भोपाल, दि.2/02/2013

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र के अनुक्रम में लेख है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के भवन एवं अन्य निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त बजट आवंटन की निम्नानुसार आपके बीसीओ कोड में आवंटित की जाती है :-

क्र.	मांग संख्या	राशि रुपये लाख में
1.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0101-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) सामान्य	3000.00
2.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0102-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) आदिवासी उपयोजना	825.00
3.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0103-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) अनुसूचित जाति उपयोजना	800.00
4.	मांग संख्या 41-4202-01-203-0102-5086-32-000 (शासकीय महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण) आदिवासी उपयोजना	500.00
योग		5125.00

उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 5125.00 लाख (रुपये इक्यावन करोड़ पच्चीस लाख मात्र) का बजट आवंटन इस शर्त के साथ विमुक्त किया जाता है कि महाविद्यालयों के चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये तदोपरान्त नवीन कार्य निर्माण कार्य कराये जावे ।

- निर्माण कार्य की प्रगति से निरंतर अवगत कराने का कष्ट करें ।
- कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन भेजा जावे । कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राचार्य अपने एवं संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध ।
- प्रशासकीय स्वीकृति के संदर्भ में, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार भोपाल दिनांक 02/02/2013 के अनुसार निर्माण कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
- जारी प्रशासकीय स्वीकृति की राशि की मांग वाले निर्माण कार्यों को राशि आहरण के पूर्व नियमानुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विभाग से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
- संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू), उनके संभाग में निर्माणाधीन महाविद्यालय भवनों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जिससे प्रत्येक भवन निर्माण की समीक्षा इस कार्यालय द्वारा की जा सके ।


“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

(डॉ (श्रीमती) सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..

2/-

क्रमांक 47 / 171 / आउशि / निर्माण शाखा 6 / 17, भोपाल, दिनांक 12/01/2018
प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. महालेखाकार (निर्माण कार्य) मध्यप्रदेश, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
5. लेखाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, बी0सी0ओ0 कोड 1903, निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल.मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित अतिरिक्त परियोजना यंत्री/संभागीय यंत्री, संभाग, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
8. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा, सतपुडा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश, कृपया परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, बी0सी0ओ0 कोड 1903, निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल.मध्यप्रदेश उपरोक्तनुसार आवंटित राशि को सर्वर पर हस्तांतरित करने का कष्ट करें।
9. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश.
10. प्रभारी, अधिकारी, उच्च शिक्षा, कम्प्यूटर शाखा की ओर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


(डॉ (श्रीमती) सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
बी0सी0ओ0 कोड 1902, निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स
भोपाल.मध्यप्रदेश.

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट आवंटन बाबत ।
संदर्भ- म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार, भोपाल, दिनांक 02/02/2013

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये प्राप्त बजट आवंटन से शासकीय महाविद्यालयों भवन निर्माण एवं अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु प्राप्त बजट आवंटन राशि को निम्नानुसार आपके बीसीओ कोड में आवंटित की जाती है :-

क.	मांग संख्या	राशि रुपये लाख में
1.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0101-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) सामान्य	740.00
2.	मांग संख्या-44-4202-01-203-0103-7643-64-001 (शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि) अनुसूचित जाति उपयोजना	117.73
3.	मांग संख्या 41-4202-01-203-0102-5086-32-000 (शासकीय महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण) आदिवासी उपयोजना	50.00
योग		907.73

उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 907.73 लाख (रुपये नौ करोड़ सात लाख तिहत्तर हजार मात्र) का बजट आवंटन इस शर्त के साथ विमुक्त किया जाता है कि महाविद्यालयों के चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये तदोपरांत नवीन कार्य निर्माण कार्य कराये जावे ।

2. निर्माण कार्य की प्रगति से निरंतर अवगत कराने का कष्ट करें ।


3. कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन भेजा जावे । कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राचार्य अपने एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

5. प्रशासकीय स्वीकृति के संदर्भ में, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक-118/52/2013/डी.एम.सी./चार भोपाल दिनांक 02/02/2013 के अनुसार निर्माण कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

6. जारी प्रशासकीय स्वीकृति की राशि की मांग वाले निर्माण कार्यों को राशि आहरण के पूर्व नियमानुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विभाग से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे । ...

6.. कार्यपालन यंत्री, उनके संभाग में निर्माणाधीन महाविद्यालय भवनों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जिससे प्रत्येक भवन निर्माण की समीक्षा इस कार्यालय द्वारा की जा सके ।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


(डॉ (श्रीमती) सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..


2/-

//2//

क्रमांक 45/171/आउशि/निर्माण शाखा 6/17,
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 12/01/2018

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. महालेखाकार (निर्माण कार्य) मध्यप्रदेश, होशंगाबाद रोड, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
5. लेखाधिकारी, (योजना तथा बजट) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बी0सी0ओ0 कोड 1902, निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स, मध्यप्रदेश भोपाल ।
6. मुख्य अभियंता, संबंधित परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश ।
7. अधीक्षण यंत्री, संबंधित मण्डल, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश ।
8. कार्यपालन यंत्री, संबंधित संभाग, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
10. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा भोपाल, मध्यप्रदेश, कृपया प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बी0सी0ओ0 कोड 1902, निर्माण भवन, 27-28 अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश उपरोक्तानुसार आवंटित राशि को सर्वर पर हस्तांतरित करने का कष्ट करें।
11. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
12. प्रभारी, अधिकारी, उच्च शिक्षा, कम्प्यूटर शाखा की ओर वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


(डॉ (श्रीमती) सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ..